न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 14/2018 – प्रार्थना पत्र नियम – 17 ए

1. शिवबहादुर सिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी रलायता तहसील–फुलियाकलां, जिला भीलवाडा।
2. प्रद्युमन सिंह भंवरसिंह राजपूत निवासी रलायता तहसील फुलियाकलां
3. दिलीपसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी रलायता तहसील फुलियाकलां
4. श्रीमती राजेन्द्र कंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत निवासी रलायता तहसील फुलियाकलां
5. बीलू कंवर पुत्री भंवरसिंह राजपूत निवासी रलायता तहसील फुलियाकलां

–प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभु पिता रामेश्वर निवासी रलायता तहसील फुलियाकलां
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 17–ए राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि आवंटन) नियम 1968

उपस्थित –

1. श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.12.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17–ए राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि आवंटन) नियम 1968 विपक्षीगण के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में ग्राम रलायता तत्कालीन शाहपुरा, वर्तमान तहसील फुलियाकलां की आराजी नं. 1357 में से 0.29 हैक्ट. भूमि का आवंटन विपक्षी सं. 1 प्रभु पिता रामेश्वर गुर्जर निवासी रलायता को कर दिया गया जो गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। उक्त जमीन प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. श्री भभूतसिंह जी राजपूत के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की थी जिसको बिना किसी कारण के और उनको व उनके वारिसान के पिता स्व0 भंवरसिंह और प्रार्थीगण को बिना कोई सूचना दिये इस भूमि को बिलानाम के रूप में दर्ज कर दिया गया जो सर्वथा गलत है। प्रार्थीगण स्वयं भी भूमिहीन काश्तकार है जिससे इस भूमि का आवंटन कराने की पात्रता सर्वप्रथम प्रार्थीगण ही रखते है क्योंकि इस भूमि पर प्रार्थीगण का निरंतर अधिकार आधिपत्य चला आ रहा हैं और इस भूमि को उपजाऊ बनाने एवं इसका विकास करने में प्रार्थीगण ने लाखों रूपये खर्च कर दिये है। उक्त भूमि के आवंटन की विधिवत उद्घोषणा नहीं की गयी थी जिससे प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की कोई जानकारी नहीं हो सकी। अगर सार्वजनिक उद्घोषणा होती तो प्रार्थीगण भी इस भूमि के आवंटन हेतु

प्रार्थनापत्र पेश कर सकते थे किन्तु पटवारी व गिरदावर हल्का ने विपक्षी से सांठ गांठ कर इस भूमि का बिना किसी विधिक उद्घोषणा के विपक्षी सं. 1 को आवंटन करा दिया जो सर्वथा गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। उक्त भूमि पर कब्जे की कोई जांच किये बिना ही एक ही दिन में सारी कार्यवाही कर उक्त भूमि का आवंटन जल्दबाजी में विपक्षी सं. 1 को कर दिया गया जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। विपक्षी सं. 1 को अवैधानिक तौर से आवंटित की गयी आराजी नं. 1357 रकबा 0.29 है0 पर आवंटन सलाहकार समिति या राजस्व अधिकारियों ने उसे कभी भी कब्जा प्रदान नहीं किया, अगर कागजों में कब्जा देने का तथ्य लिख दिया गया हो तो सर्वथा गलत है। कब्जा सुपुर्दगी का कोई भी पर्चा मौतविरान व निष्पक्ष व्यक्तियों के समक्ष नहीं बनाया गया जिससे यह प्रमाणित होता है कि विपक्षी सं. 1 को इस आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा सुपुर्द नही किया गया। नियमानुसार आवंटी को आवंटित भूमि के आधे रकबे पर आवंटन के प्रथम वर्ष मे काश्त करना होता है और उसके अगले वर्ष पूरी जमीन पर काश्त करना आवश्यक होता है, किन्तु विपक्षी सं. 1 का इस आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं हुआ जिससे उसने आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। आवंटी विपक्षी सं. 1 प्रभु गुर्जर भूमिहीन काश्तकार नहीं है। उसके स्वयं के खाते एवं उसको नोशनल शेयर से प्राप्त होने वाली भूमि के रकबे को मिलाकर उसके पास पूर्व में ही 4 हैक्टेयर से अधिक भूमि उसके पास हो जाती है जिससे वह भूमि आवंटन कराने की पात्रता नहीं रखता है। प्रभु गुर्जर के स्वयं के खाते में आराजी सं. 106, 107, 124, 254, 62, 192, 194 दर्ज है जिसका कुल रकबा 1.1700 हैक्ट. है जो सिंचित होने से दुगुना करने पर इसका रकबा 2.3400 हैक्ट. हो जाता है। विपक्षी संख्या 1 के दादा देबी पिता भागीरथ का देहान्त हो गया है जिससे सारी भूमि उसके वारिसान में निहित हो गयी है। विपक्षी सं. 1 के स्वयं के खाते एवं उसकी माता श्रीमती न्याली, उसके पिता रामेश्वर और दादा देबी के शामलाती खाते में ग्राम रलायता में स्थित है। श्रीमती न्याली, रामेश्वर व देवी के उक्त खातों में कुल सिंचित रकबा 4.0800 हैक्ट. जिसमें नोशनल शेयर से विपक्षी सं. 1 के हिस्से में 0.8016 हैक्ट. सिंचित भूमि आती है जिसको दुगना करने पर 1.6032 हैक्ट. रकबा होता है। विपक्षी नं. 1 प्रभु के हिस्से में कुल 3.9432 हैक्ट. भूमि हो जाती है। इसके अलावा उक्त खाता सं. 135 में बीड बंजड रकबा 0.6700 हैक्ट. दर्ज है, जिसमें नोशनल शेयर से प्रभु के हिस्से में 0.1340 हैक्ट. रकबा आता है। इस प्रकार विपक्षी सं. 1 प्रभु के स्वयं के खाते व नोशनल शेयर से उसके हिस्से में आने वाली भूमि का कुल रकबा 4.0772 हैक्ट. रकबा हो जाता है जो निर्धारित सीमा 4.0 हैक्ट. से अधिक है। जिससे विपक्षी सं. 1 प्रभु भूमि आवंटन कराने की पात्रता नहीं रखता है क्योंकि उसके खाते व हिस्से में पहले से ही निर्धारित सीमा से अधिक भूमि हैं। उक्त प्रकार से भूमिहीन नहीं होते हुए भी विपक्षी सं. 1 ने अपने आप को भूमिहीन काश्तकार बताकर उक्त आराजी नं. 1357 में से 0.2900 हैक्ट. भूमि का आवंटन कराया है जो भूमि आवंटन सलाहकार समिति के साथ फ्रोड व मिसरिप्रजेन्टेशन कर के कराया है जिससे उसे किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त कागजी आवंटन के समय आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य मौके पर उपस्थित नहीं थे और उनको धोखे में रखकर उनके हस्ताक्षर आवंटन प्रपत्र पर बाद में कराये गये है। इस प्रकार विपक्षी सं. 1 को धोखे से किया गया या कराया गया आवंटन गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 31.07.2018 को हुई। प्रार्थीगण ने आवंटन कागजात की नकलें प्राप्त की जिससे यह प्रार्थनापत्र बिना किसी देरी के मिलने जानकारी से अंदर अवधि में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः विपक्षी सं. 1 को

ग्राम रलायता की आराजी नं. 1357 में से 0.2900 हैक्ट. भूमि का किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त कराया जावे और इस भूमि को उसके गैर खातेदारी हक से हटाया जाकर इस भूमि को प्रार्थीगण के खाते मे दर्ज करायी जावें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.2018 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में ग्राम रलायता तत्कालीन शाहपुरा, वर्तमान तहसील फुलियाकलां की आराजी नं. 1357 में से 0.29 हैक्ट. भूमि का आवंटन विपक्षी सं. 1 प्रभु पिता रामेश्वर गुर्जर निवासी रलायता को कर दिया गया जो गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। उक्त जमीन प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. श्री भभूतसिंह जी राजपूत के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की थी जिसको बिना किसी कारण के और उनको व उनके वारिसान के पिता स्व0 भंवरसिंह और प्रार्थीगण को बिना कोई सूचना दिये इस भूमि को बिलानाम के रूप में दर्ज कर दिया गया जो सर्वथा गलत है। प्रार्थीगण स्वयं भी भूमिहीन काश्तकार है जिससे इस भूमि का आवंटन कराने की पात्रता सर्वप्रथम प्रार्थीगण ही रखते है क्योंकि इस भूमि पर प्रार्थीगण का निरंतर अधिकार आधिपत्य चला आ रहा हैं और इस भूमि को उपजाऊ बनाने एवं इसका विकास करने में प्रार्थीगण ने लाखों रूपये खर्च कर दिये है। उक्त भूमि के आवंटन की विधिवत उद्घोषणा नहीं की गयी थी जिससे प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की कोई जानकारी नहीं हो सकी। अगर सार्वजनिक उद्घोषणा होती तो प्रार्थीगण भी इस भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र पेश कर सकते थे किन्तु पटवारी व गिरदावर हल्का ने विपक्षी से सांठ गांठ कर इस भूमि का बिना किसी विधिक उद्घोषणा के विपक्षी सं. 1 को आवंटन करा दिया जो सर्वथा गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। उक्त भूमि पर कब्जे की कोई जांच किये बिना ही एक ही दिन में सारी कार्यवाही कर उक्त भूमि का आवंटन जल्दबाजी में विपक्षी सं. 1 को कर दिया गया जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। विपक्षी सं. 1 को अवैधानिक तौर से आवंटित की गयी आराजी नं. 1357 रकबा 0.29 हैक्ट. पर आवंटन सलाहकार समिति या राजस्व अधिकारियों ने उसे कभी भी कब्जा प्रदान नहीं किया, अगर कागजों में कब्जा देने का तथ्य लिख दिया गया हो तो सर्वथा गलत है। कब्जा सुपुर्दगी का कोई भी पर्चा मौतबिरान व निष्पक्ष व्यक्तियों के समक्ष नहीं बनाया गया जिससे यह प्रमाणित होता है कि विपक्षी सं. 1 को इस आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा सुपुर्द नही किया गया। नियमानुसार आवंटी को आवंटित भूमि के आधे रकबे पर आवंटन के प्रथम वर्ष मे काश्त करना होता है और उसके अगले वर्ष पूरी जमीन पर काश्त करना आवश्यक होता है, किन्तु विपक्षी सं. 1 का इस आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं हुआ जिससे उसने आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। आवंटी विपक्षी सं. 1 प्रभु गुर्जर भूमिहीन काश्तकार नहीं है। उसके स्वयं के खाते एवं उसको नोशनल शेयर से प्राप्त होने वाली भूमि के रकबे को मिलाकर उसके पास पूर्व में ही 4 हैक्टेयर से अधिक भूमि उसके पास हो जाती है जिससे वह भूमि आवंटन कराने की पात्रता नहीं रखता है। प्रभु गुर्जर के स्वयं के खाते में आराजी सं. 106, 107, 124, 254, 62, 192, 194 दर्ज है जिसका कुल रकबा 1.1700 हैक्ट. है जो सिंचित होने से दुगुना करने पर इसका रकबा 2.3400 हैक्ट. हो जाता है। विपक्षी संख्या 1 के दादा देबी पिता भागीरथ

का देहान्त हो गया है जिससे सारी भूमि उसके वारिसान में निहित हो गयी है। विपक्षी सं. 1 के स्वयं के खाते एवं उसकी माता श्रीमती न्याली, उसके पिता रामेश्वर और दादा देबी के शामलाती खाते में ग्राम रलायता में स्थित है। श्रीमती न्याली, रामेश्वर व देवी के उक्त खातों में कुल सिंचित रकबा 4.0800 हैक्ट. जिसमें नोशनल शेयर से विपक्षी सं. 1 के हिस्से में 0. 8016 हैक्ट. सिंचित भूमि आती है जिसको दुगना करने पर 1.6032 हैक्ट. रकबा होता है। विपक्षी नं. 1 प्रभु के हिस्से में कुल 3.9432 हैक्ट. भूमि हो जाती है। इसके अलावा उक्त खाता सं. 135 में बीड बंजड रकबा 0.6700 हैक्ट. दर्ज है, जिसमें नोशनल शेयर से प्रभु के हिस्से में 0.1340 हैक्ट. रकबा आता है। इस प्रकार विपक्षी सं. 1 प्रभु के स्वयं के खाते व नोशनल शेयर से उसके हिस्से में आने वाली भूमि का कुल रकबा 4.0772 हैक्ट. रकबा हो जाता है जो निर्धारित सीमा 4.0 हैक्ट. से अधिक है। जिससे विपक्षी सं. 1 प्रभु भूमि आवंटन कराने की पात्रता नहीं रखता है क्योंकि उसके खाते व हिस्से में पहले से ही निर्धारित सीमा से अधिक भूमि हैं। उक्त प्रकार से भूमिहीन नहीं होते हुए भी विपक्षी सं. 1 ने अपने आप को भूमिहीन काश्तकार बताकर उक्त आराजी नं. 1357 में से 0.2900 हैक्ट. भूमि का आवंटन कराया है जो भूमि आवंटन सलाहकार समिति के साथ फ्रोड व मिसरिप्रजेन्टेशन कर के कराया है जिससे उसे किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त कागजी आवंटन के समय आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य मौके पर उपस्थित नहीं थे और उनको धोखे में रखकर उनके हस्ताक्षर आवंटन प्रपत्र पर बाद में कराये गये है। इस प्रकार विपक्षी सं. 1 को धोखे से किया गया या कराया गया आवंटन गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 31.07.2018 को हुई। प्रार्थीगण ने आवंटन कागजात की नकलें प्राप्त की जिससे यह प्रार्थनापत्र बिना किसी देरी के मिलने जानकारी से अंदर अवधि में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः विपक्षी सं. 1 को ग्राम रलायता की आराजी नं. 1357 में से 0.2900 हैक्ट. भूमि का किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त कराया जावे और इस भूमि को उसके गैर खातेदारी हक से हटाया जाकर इस भूमि को प्रार्थीगण के खाते मे दर्ज करायी जावें।

विपक्षी सं. 01 ने अपनी बहस में बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में विपक्षी को ग्राम रलायता की आराजी सं. 1357 में 0.29 हैक्ट. भूमि का आवंटन बिना नियमों की पालना किये किया गया था। विपक्षी ने इस आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं किया हैं। उक्त आराजी संख्या 1357 ठाकुर भभूतसिंह के खाते की थी जिस पर पीढी दर पीढी उनके वारिसान का ही कब्जा चला आ रहा हैं। उक्त भूमि के आवंटन की विपक्षी सं. 01 ने कोई प्रार्थना नही की थी और न ही यह भूमि विपक्षी सं. 01 को चाहिये। यदि उक्त आराजी सं. 1357 में 0.29 हैक्ट. को विपक्षी सं. 01 को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया जाता हैं तो विपक्षी सं. 01 को कोई आपत्ति नहीं हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं. 01 को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया जावे तो इसमें विपक्षी सं. 01 को कोई आपत्ति नहीं हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया कि ग्राम रलायता की आराजी सं. 1357 प्रार्थीगण के पूर्वज भभूत सिंह राजपूत के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की थी जिसको बिना किसी कारण के बिलानाम दर्ज कर दी गयी, जबकि इसके संबंध में प्रार्थीगण ने कोई

दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की हैं। इसके साथ ही उक्त आराजियात पर प्रार्थीगण का कब्जा होने संबंधी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया हैं कि उक्त आवंटन हेतु कोई उद्घोषणा जारी नही की गयी जबकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ग्राम रलायता की आराजी नम्बर 1357 उद्घोषित होकर सूची के क्रम सं. 67 पर दर्ज हैं। विपक्षी सं. 01 के भूमिहीन काश्तकार नहीं होने के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17–ए राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि आवंटन) नियम 1968 दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17–ए राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि आवंटन) नियम 1968 का दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार किया जाता है। विपक्षी सं. 01 के द्वारा दिनांक 16.01.2019 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त आराजी सं. 1357 में 0.29 हैक्ट. भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया जावे तो विपक्षी सं. 01 को कोई आपत्ति नहीं हैं। विपक्षी सं. 01 के जवाब को स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं. 01 का ग्राम रलायता में आराजी सं. 1357 में 0.29 हैक्ट. भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार फुलियाकलां को निर्देशित किया जाता हैं आराजी सं. 1357 में 0.29 हैक्ट. भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा एवं तहसीलदार फुलियाकलां को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.12.20 18:49:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: